


दिनांक

आज्ञा पत्र

23-9-25

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 5-बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खासि की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फेसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।



मू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर